गोलमेज सम्मेलन

भूमिका

जिस दौरान पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रगति पर था और सरकार का दमन चक्र तेजी से चल रहा था, उसी समय वायसराय लॉर्ड इर्विन और मि. साइमन ने सरकार पर यह दबाव डाला कि वह भारतीय नेताओं तथा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से सलाह लेकर भारत की संवैधानिक समस्याओं का निर्णय करे। इसी उद्देश्य से लन्दन में तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इन सम्मेलनों का कोई आशाजनक परिणाम नहीं निकल कर सामने आया। उल्टे इससे भारत के विभिन्न वर्गों और संप्रदायों में मतभेद ही बढ़ा और सांप्रदायिकता के विकास में अत्यधिक वृद्धि हुई।

प्रथम गोलमेज सम्मेलन (12 नवम्बर, 1930 से 19 जनवरी, 1931)

प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इर्विन के प्रयास से हुआ। सम्मेलन में कुल 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें तीन ग्रेट ब्रिटेन, 16 भारतीय देशी रियासतों और शेष 57 अन्य प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में सर तेज बहादुर सप्रु, श्री निवास शास्त्री, डॉक्टर जयकर, सी. वाई. चिंतामणि और डॉ. अम्बडेकर जैसे व्यक्ति थे। सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया एवं इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड ने की। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने तीन आधारभूत सिद्धान्तों की चर्चा की–

1. केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का निर्माण संघ शासन के आधार पर होगा और ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी राज्य संघ शासन की इकाई का रूप धारण करेंगे।
2. केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, किन्तु सुरक्षा और विदेश विभाग भारत के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे।
3. अतिरिक्त काल में कुछ रक्षात्मक विधान (Statutory Safeguards) अवश्य होंगे।

Prof. Himanshu Chaturvedi

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सुझावों के प्रति प्रतिनिधियों की भिन्न–भिन्न प्रतिक्रियाएं हुईं। संघ शासन के सिद्धांत को सभी प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया। देशी नरेशों ने भी संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया।

प्रांतीय स्वतंत्रता के संबंध में भी विचारों में मतभेद नहीं था। भारतीय प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया। कवेल सरंक्षण और उत्तरदायी मंत्रियों पर नियंत्रण के संबंध में पारस्परिक मतभेद पाया गया। कुछ लोगों ने केन्द्र में आंशिक उत्तरदायित्व की जगह पूर्ण उत्तरदायित्व की माँग की। श्री जयकर और श्री सप्रु ने भारत के लिए **आपैनिवेशिक स्वराज** की माँग की। प्रथम गोलमेज सममेलन में साप्रंदायिकता की समस्या सर्वाधिक विवादपूर्ण रही। मुसलमान पृथक् तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे। जिन्ना ने अपने 14 सूत्र को सामने रखा, तो डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निवार्चक मडंल की माँग की।

इस प्रकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा और 19 जनवरी, 1931 को सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। वस्तुतः कांग्रेस के बहिष्कार ने इस सम्मेलन को निरर्थक बना दिया था।

Prof. Himanshu Chaturvedi

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

सरकार ने कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए मनाने के प्रयास प्रारम्भ कर दिए। इसके तहत वाइसराय से वार्ता का प्रस्ताव दिया गया। इसके तहत वाइसराय से चर्चा के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्त किया। गाँधी जी और वाइसरॉय इरविन की बातचीत 19 फरवरी, 1931 से शुरू हुई। 15 दिन की बातचीत के बाद 5 मार्च, 1931 को एक समझौता हुआ जिसे "दिल्ली समझौता" या "गाँधी–इरविन समझौता" के नाम से जाना जाता है।

इस समझौते के बाद गाँधी जी को कांग्रेस में वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना सहनी पड़ी। बड़ी कठिनाई से इस समझौते को कांग्रेस ने स्वीकार किया। कांग्रेस के "कराची अधिवेशन" में युवाओं ने गाँधी जो को "काले झंडे" दिखाए।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर, 1931 से 1 दिसम्बर, 1931 तक चला। इस सम्मेलन में गाँधी जी आधिकारिक रूप से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू होने के पूर्व इंग्लैण्ड की राजनीतिक स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मजदूर दल की सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ जिसमें मजदूर, अनुदार तथा उदार तीनों दल सम्मिलित हुए। सर सेमुअल होर भारत सचिव नियुक्त हुआ, जो पक्का अनुदारवादी था। लार्ड इर्विन जैसे उदारवादी के स्थान पर लॉर्ड वेलिगंटन वायसराय नियुक्त हुआ। इसी बीच प्रथम गालमेज सम्मेलन के बाद 'गांधी–इरविन पैक्ट' हो चुका था और कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में गांधीजी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार थे। सम्मेलन में गांधीजी ने भारतीय हितों की रक्षा करने की भरपूर कोशिश की, परंतु अंत में वे असफल होकर ही लौटे। सम्मेलन में मुख्यतया भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचे और अल्पसंख्यकों के प्रश्नों पर बहस हुई।

Prof. Himanshu Chaturvedi

गांधीजी ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि कांग्रेस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और वायसराय के अनावश्यक अधिकारों में कटौती की बात की, परंतु प्रारंभ से ही अंग्रेजों की मंशा ठीक नहीं थी । अतः उन लोगों ने साप्रंदायिक प्रश्नों को ही प्राथमिकता दी। भारतीय सांप्रदायिक वर्ग भी गांधी की बात सुनने को तैयार नहीं थे।

गाँधी जी की माँगें

- केंद्र और प्रान्तों में तुरंत और पूर्ण रूप से एक उत्तरदायी सरकार स्थापित की जानी चाहिए।
- केवल कांग्रेस ही राजनीतिक भारत का प्रतिनिधित्व करती है।
- अस्पृश्य भी हिन्दू हैं अतः उन्हें "अल्पसंख्यक" नहीं माना जाना चाहिए।
- मुसलामानों या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन या विशेष सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाया जाना चाहिए।

गाँधी जी की मांगों को सम्मेलन में स्वीकार नहीं किया गया। मुसलामानों, ईसाईयों, आंग्ल–भारतीयों एवं दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की माँग प्रारम्भ कर दी। ये सभी एक "अल्पसंख्यक गठजोड़" के रूप में संगठित हो गये। गाँधी जी साम्प्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव के विरोध में अंत तक डटे रहे।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता

सम्मेलन की विफलता का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड ने अपनी योजना रखी, जो स्वीकार्य नहीं हो सकती थी। सरकारी रुख से दुःखी और निराश होकर गांधीजी दिसम्बर 1931 में भारत लौटे। इस बीच लॉर्ड विलिगंटन कठारेतापवूर्क राष्ट्रीयता की भावना को दबाने में लगे हुए थे। जवाहर लाल नहेरू, पुरुषोत्तमदास टडंन, खान अब्दुल गफ्फार खां आदि प्रमुख नेताओं को गांधीजी के भारत लौटने के पूर्व ही गिरफ्तार कर

Prof. Himanshu Chaturvedi

लिया गया था। गांधीजी ने पुनः आन्दोलन करने की धमकी दी, अतः गाँधी सहित अनके अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पुनः गैरकानूनी संस्था घोषित कर दी गयी। पुलिस अत्याचार बढ़ गये, प्रेस पर पाबंदियां बढ़ गयीं और कानून के बदले अध्यादेश द्वारा शासन चलाया जाने लगा। गांधीजी ने बदलती परिस्थितियों में 'व्यक्तिगत अवज्ञा आन्दालेन' की योजना बनायी। लेकिन सरकार के सांप्रदायिक निर्णय से वे हतोत्साहित हो उठे। फलतः मई 1933 में आन्दोलन को कांग्रेस ने स्थगित कर दिया तथा मई 1934 में इसे वापस ले लिया। सारे देश में उल्लास की जगह निराशा छा गयी। गांधीजी पुनः राजनीति से कटकर हरिजनों की तरफ ध्यान देने लगे।

प्रभाव

सरकार भारतीयों की प्रमुख माँग "स्वराज" देने में असफल रही। गाँधी जी लौट गये और 29 दिसम्बर, 1931 को कांग्रेस कार्यसमिति ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिता के तत्त्व और मजबूत हो गये।

निष्कर्ष

सम्मेलन में साम्प्रदायिक मामले ही मुख्य विषय बन गये। मतभेद समाप्त होने के बजाय और बढ़ गये। सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के 1 दिसम्बर 1931 को समाप्त हो गया और भारत वापस आकार गाँधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को पुनः प्रारम्भ करने की घोषणा की।

Prof. Himanshu Chaturvedi

तृतीय गोलमेज सम्मेलन

1932 में पुनः एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवम्बर 1932 से 24 दिसम्बर 1932 तक किया गया। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्यतः प्रतिक्रियावादी तत्वों ने ही भाग लिया। भारत की कांग्रेस तथा ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारतीयों के मूल अधिकारों की मांग की गयी तथा गवर्नर जनरल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की माँग रखी गयी, परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फलतः यह सम्मेलन भी विफल रहा। इन गोलमेज सम्मेलनों द्वारा भारत के संवैधानिक प्रश्नों का हल ढूंढ़ने का नाटक किया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वर्ग विशेष के हितों और सरकारी नीतियों के चलते तीनों ही सम्मेलन विफल रहे। इनकी विपफलता के साथ–साथ साप्रंदायिकता का विकराल स्वरूप भी स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आ गया, जिसने बाद की घटनाओं को प्रभावित किया।

तीसरे गोलमेज सम्मलेन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर "भारत सरकार अधिनियम, 1935" का निर्माण हुआ।

तृतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधि

भारतीय प्रान्तों के प्रतिनिधि

अकबर हैदरी (हैदराबाद के दीवान), मिर्जा इस्माइल (मैसूर के दीवान), वी.टी. कृष्णामचारी (बड़ौदा के दीवान), वजाहत हुसैन (जम्मू और कश्मीर), सर सुखदेव प्रसाद (उदयपुर, जयपुर, जोधपुर), जे.ए. सुर्वे (कोल्हापुर), रजा अवध नारायण बिसर्य (भोपाल), मनु भाई मेहता (बीकानेर), नवाब लियाकत हयात खान (पटियाला)।

Prof. Himanshu Chaturvedi

ब्रिटिश-भारत के प्रतिनिधि

आगा खां तृतीय, डॉ. अम्बेडकर (दलित वर्ग), बोब्बिली के रामकृष्ण रंगा राव, सर हुबर्ट कार्र (यूरोपियन), नानक चंद पंडित, ऐ.एच. गजनवी, हनरी गिड़ने (आंग्ल–भारतीय), हाफिज हिदायात हुसैन, मोहम्मद इकबाल, एम.आर. जयकर, कोवासजी जहाँगीर, एन.एम. जोशी (मजदूर), ऐ.पी. पेट्रो, तेज बहादुर सप्रू, डॉ. सफाअत अहमद खां, सर सादिलाल, तारा सिंह मल्होत्रा, सर निर्पेंद्र नाथ सरकार, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, मुहम्मद जफरुल्लाह खां।

सितम्बर, 1931 से मार्च, 1933 तक, भारत सचिव सैमुअल होर के पर्यवेक्षण में, प्रस्तावित सुधारों को लेकर प्रपत्र तैयार किया गया जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रमुख आधार बना।

विस्तृत अध्ययनः-

- जूडिथ ब्राउन, मार्डन इंडिया, द ओरिजिंस ऑफ एन एशिय डेमोक्रेसी, ओयूपी, दिल्ली, 1984
- सुमित सरकार, मार्डन इंडिया, मैकमिलन, नई दिल्ली, 1983
- डी.जी. तेंदुलकर, महात्माः लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, भाग–6
- सतीश चन्द्र मित्तल, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, नयी दिल्ली, 2012
- प्यारेलाल, पूर्णाहुतिः महात्मा गांधी, भाग–2,3,4 नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1971

****

Prof. Himanshu Chaturvedi